झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

<u>चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा</u>

<u>त्रयोदश (मॉनसून) सत्र</u>

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.07.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अरूप चटर्जी एवं श्री राजकुमार यादव स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में कसेरा जाति के खतियान में कसगढ़िया जाति दर्ज है। पूर्व में ऑफलाईन के द्वारा कसेरा जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता था, परन्तु ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र में यह जाति पिछड़ी जाति के एनेक्चर-ii के अन्तर्गत आता है, जिसका प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है। यह समस्या गुमला जिलान्तर्गत ग्राम-रामजड़ी, पो0-कुम्हारी, प्रखण्ड-बसिया, जिला- गुमला में बहुत ही अधिक है। यहाँ के पूर्वजों द्वारा 1932 ई0 के सर्वे में कसगढ़िया जाति के नाम से खतियान में दर्ज कराया गया है। कसगढ़िया नागपुरी भाषा में है, जिसे हिन्दी में कसेरा जाति कहा जाता है। कसेरा जाति का प्रमाण-पत्र नहीं बनने से सरकार की ओर से छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कसेरा जाति को एनेक्चर-ii (पिछड़ी जाति) का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

क0प्0300

01.	02.	03.	04.
02–	श्री दीपक विरुवा एवं श्री निरल पुरती, स0वि0स0	राँची स्थित हटिया कारखानाा (H.E.C.) के लिये 36 ग्रामों के 8144 एकड़ रैयती भूमि वर्ष 1955–61 के दौरान अधिग्रहित की गई थी 36 ग्रामों मे से 28 ग्राम आदिवासी बहुल थी। आज भी H.E.C. विस्थापित पुर्नवास पुर्नस्थापन से वंचित है। यह क्षेत्र CNT Act के प्रभाव क्षेत्र रहा परन्तु आज इसका स्वरूप बदलते हुये Lease Sub-Lease के द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में गैर आदिवासियों को स्थाई रुप से बसायी जा रही है। सम्प्रति विस्थापितों के पुर्नवास का नियम घर के बदले घर बनाई गई है, जिससे बाहर के लोग लाभान्वित होंगे और तो और बाहर से आकर अवैध कब्जाधारियों के लिए 8700 घरों के निर्माण का प्रस्ताव है। यह झारखण्ड के लिए खतरनाक होगा। अतः विस्थापितों के हितों की रक्षा में तत्काल कदम उठाये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
03–	श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत अंचल गोड्डा पंचायत डुमरिया ग्राम–दरघट्टी स्थित चीर नदी दरघट्टी में बालूघाट का बंदोवस्ती निलामी के माध्यम से महादेव इनक्लेव कंपनी को किया गया है यह नदी झारखण्ड एवं बिहार सीमा पर स्थित है लेकिन करीब 5 माह पूर्व झारखण्ड राज्य सीमा दरघट्टी घाट क्षेत्र के सीमांकन क्षेत्र में बालू नहीं बचा है इसके बावजूद भी बंदोवस्तीधारी महादेव इनक्लेव कंपनी द्वारा आस–पास के अपराधिक तत्वों के गठजोड़ कर बिहार राज्य सीमा में जमा बालू का उठा करते है और झारखण्ड राज्य का बालू चालन वाहनों को उपलब्ध कराकर अवैध धन कमा रहे है जिस कारण इन क्षेत्रों में अवैध बालू को वैध साबित करते हुए कार्य कर रहे है। इसके अलावा कई तरह के फर्जी कागजात के माध्यम से भी कार्य किये जाने की	खान एवं भूतत्व

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		सूचना मिलती रही है। उक्त संदर्भ में जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त है। इस तरह अवैध बालू घाट से कमाई होने के कारण इन क्षेत्रों में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है एवं समाज में अशांति फैल रही है। इसका प्रमाण-हाल के दिनों में मामला हत्या तक पहुँच गयी है। जिस कारण गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड संख्या-83/18 तक दर्ज हो चुका है। अतः चीर नदी दरघट्टी बालू घाट में अवैध कारोबार एवं अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए बालू घाट की बंदोवस्ती को तत्काल रद्द करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ।	
04-	श्री शिवशंकर उराँव, स0वि0स0 श्री लक्ष्मण टुडू, स0वि0स0 एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0.	सनातन कुडुख (उराँव) जनजाति समुदाय का प्रसिद्ध व प्रमुख आस्था और श्रद्धा का केन्द्र **"सिरसिता नाले"** गुमला जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत सिरसी एवं पकरीटोली गाँव में विद्यमान है। जहाँ पर पवित्र जल स्त्रोत **"ककड़ो लाता"** "धर्मे कड़डो" एवं पहाड़ी पर ढकनी चुआँ विद्यमान है। इस धार्मिक स्थल पर देश भर के कुडुख (उराँव) जनजाति समुदाय के आस्थावान धार्मिक श्रद्धालु पर्यटक प्रति दिन सैकड़ों की संख्या में तथा प्रति वर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थ एवं पूजा-पाठ के लिए आते-जाते हैं। ऐसे अतिमहत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल पर लाखों की संख्या में आने-जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से कोई बुनियादी समुचित पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण पर्यटकों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुडुख समुदाय के इस अति महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की सुविधा हेतु मास्टर **प्लान बनवाकर** सभी समुचित एवं आवश्यक पर्यटकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।	पर्यटन कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य

01.	02.	03.	04.
05-	श्री रामकुमार पाहन, स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 एवं डॉ0 जीतू चरण राम स0वि0स0	उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गेतलसूद, अनगड़ा निवासी श्री बंदीराम महतो वगैरह का 11 परिवार गेतलसूद एवं 07 परिवार मौजा- बसिया, अंचल-बालुमाथ जिला- लातेहार निवास करते है। श्री महतो का जमीन टोरी शिखपुरा रेलवे बिस्तारीकरण के लिए अधिग्रहण किया गया है, जिसका खाता नं0-42, प्लॉट सं0- 287 एक्वा 93 डी0 एवं 1 एकड़ 20 डी0 लगभग भूमि है। बिस्तारीकरण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। इनके द्वारा भी जमीन संबंधी पूर्ण कागजात जमा किया गया है एवं मुआवजा भुगतान हेतु विभाग द्वारा सैकड़ों बाद दौड़ाया जा रहा है लेकिन अबतक मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है जिससे इनका परिवार काफी परेशान है। अतएव आपसे आग्रह है कि श्री बंदीराम महतो बगैरह का उक्त अधिग्रहित जमीन का यथाशीघ्र मुआंवजा भूगतान एवं परिवार के सदस्यों को नियोजित करने हेतु सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 21 जुलाई, 2018 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ03ो

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–43/2018–3418/वि0 स0, राँची, दिनांक–20/7/18

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग एवं पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–43/2018–3418/वि0 स0, राँची, दिनांक–20/7/18

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

20-07-18